मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक/4026/5465/10/3/85 भोपाल, दिनांक 20 नवंबर 1985

प्रति,

1. प्रमुख वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल
3. समस्त वन संरक्षक मध्यप्रदेश.
4. समस्त वन मंडलाधिकारी/उप संचालक, मध्यप्रदेश
   (प्रमुख वन संरक्षक म0प्र0 के माध्यम से)

विषयः— मध्यप्रदेश पंचायल अधिनियम के अन्तर्गत जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों को कृत्यों के हस्तांतरण।

—0—

मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1981 के अन्तर्गत पंचायतों को अतिरिक्त कृत्यों के हस्तांतरण का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले की जो भी निस्तारी योजना है उसका अनुमोदन जनपद पंचायतों को स्थायी समिति की अनुमोदित सनीति से संपन्न किया जायेगा। इसके साथ ही, जहॉ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य स्थापित किये गये हैं वहॉ पशुओं के लिये चारे की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित जनपद पंचायन के अनुमोदन से की जायेगी। इस संबंध में किसी विवाद या आपत्ति की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रकरण जिला पंचायन को निर्णय हेतु भेजा जायेगा।

2. निस्तारी लकड़ी एवं बांस बल्लियों के वितरण तथा सामाजिक वानिकी का कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जायेगा। उस डिपो से संलग्न सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा ग्राम पंचायतो को आवंटित मात्रा के आधार पर उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर, डिपो से बांस बल्लियों का प्रदान करेगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
अशोक मसीह
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग